

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1565/2012/जयपुर

मैसर्स गुलाबचन्द शंकरलाल,
नई अनाज मंडी, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) अपील संख्या 293/आरएसटी/1999-2000/जी/2004-05 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.09.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 व 68 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 26.07.1999 के जरिये आरोपित कर रुपये 21,300/- एवं शास्ति रुपये 42,600/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.06.1999 को अपीलार्थी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर - मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज, गुन्टुर, आन्ध्रप्रदेश के बिल संख्या 24 दिनांक 28.04.1999 के द्वारा रुपये 3,55,000/- की मिर्च क्रय की गई है, परन्तु उसका इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति व कर का आरोपण किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा



निरन्तर.....2

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 तहत कर बोर्ड के समक्ष के प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस आरम्भ करते हुए यह तकनीकी आपत्ति की है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश अधिनियम की धारा 65 के अधीन पारित किया गया है जबकि इसे अस्थाई कर निर्धारण के रूप में धारा 28 सपठित धारा 65 के अंतर्गत किया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी का अन्तिम कर निर्धारण भी दिनांक 13.06.2001 को सम्पूरित हो चुका है जिसमें विवादित आदेश दिनांक 26.07.1999 को समाहित नहीं किया गया है, अतः मूल आदेश दिनांक 26.07.1999 आरम्भ से ही अविधिक था एवं इसे नियमित कर निर्धारण में समाहित नहीं किये जाने से यह अस्तित्व में ही नहीं रहा है, अतः अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की पुष्टि कर विधिक त्रुटि की है।
4. अपीलार्थी की इस आपत्ति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम धारा 65 का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त धारा 65 निम्नानुसार पुनरुल्लिखित की जानी है :-

"65. Penalty for avoidance or evasion of tax – Where any dealer, whether or not registered, has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately inaccurate particulars therein or has concealed any transaction of sale or purchase from his accounts, registers and documents required to be maintained under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under law, a sum equal to double the amount of tax avoided or evaded."

धारा 65 की भाषा से स्पष्ट है कि कोई खरीद या बिक्री छिपाई जाने की दशा में शास्ति आरोपण करते हुए साथ में नियमानुसार देय कर भी वसूला जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण चूंकि लेखा पुस्तकों में खरीद अलेखांकित पाये जाने से संबंधित है, अतः इस धारा के स्वतंत्र एवं स्पष्ट प्रावधानों के मददेनजर कर निर्धारण अधिकारी ने इस धारा के अधीन कर व शास्ति आरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, अतः इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

निरन्तर.....3

31

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का प्रकरण के तथ्यों के संबंध में कथन है कि प्रश्नगत माल की वास्तविक कीमत रुपये 2,67,750/- है जिसके लिए विक्रेता द्वारा इन्वॉयस संख्या 134 दिनांक 23.04.1999 जारी किया गया था। विक्रेता फर्म मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज, गुन्टुर द्वारा उसी दिन एक गाड़ी मिर्च अहमदाबाद भेजी गई थी एवं भूलवश अहमदाबाद में जयपुर भेजे गये माल की कीमतों से अदला बदली हो गई थी। इस प्रकार परिवहनित माल की वास्तविक राशि रुपये 2,67,750/- ही थी व केवल उक्त माल से संबंधित बिल संख्या 134 द्वारा ही उक्त माल भेजा गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी माल को अलग मानते हुए उसकी कीमत रुपये 3,55,000/- अनुमानित की। अपीलार्थी द्वारा बिल संख्या 134 से प्राप्त माल का इन्द्राज अपनी लेखा पुस्तकों में किया गया है व इस संबंध में मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज द्वारा लिखित पत्र दिनांक 28.06.1999 भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकार केवल एक Transaction को अलग-अलग दो Transactions माना जाकर करापवंचन के अभियोग में कर व शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि अविधिक है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने एवं व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।
7. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी मुख्यतः लाल मिर्च की खरीद बिक्री व आढत पर बिक्री का काम करता है साथ ही अन्य मसाले यथा हल्दी, धनिया, जीरा, मैथी आदि का भी क्रय विक्रय करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 15.06.1999 को किया गया तथा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज, गुन्टुर (आन्ध्रप्रदेश) का बिल क्रमांक 24 दिनांक 28.04.1999 कीमतन रुपये 3,55,000/-, बिल्टी संख्या 1041 दिनांक 28.04.1999 मैसर्स भवानी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, आन्ध्रप्रदेश राज्य का बिक्री कर फॉर्म - X वे बिल फॉर्म नं० 0649140 दिनांक 28.04.1999, राजस्थान बिक्री कर का फॉर्म एसटी 18ए नं० 329/12 एवं मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज, लालसोट का डिस्पेच नोट नं० 079/0649140 दिनांक 28.04.1999 पाये गये थे। परन्तु इस माल का जमा खर्च नियमित लेखा

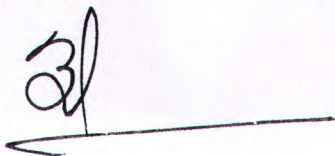


पुस्तकों में नहीं पाया गया था लिहाजा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस खरीद को नियमित लेखा पुस्तकों से करवंचनार्थ छुपाया जाना मानते हुए धारा 65 के अंतर्गत शास्ति आरोपण किया तथा साथ ही करारोपण भी किया।

8. अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह पक्ष पेश किया गया था कि आन्ध्रप्रदेश स्थित प्रेषक व्यवहारी द्वारा कुछ माल अहमदाबाद स्थित फर्म को भी भेजा गया था परन्तु त्रुटिवश उस माल की कीमत रुपये 3,55,000/- अपीलार्थी को भेजे गये बिल में लिख दी जबकि अपीलार्थी के माल की कीमत रुपये 2,67,750/- ही थी। पत्रावली के अवलोकन तथा अपीलार्थी के बयानों एवं नोटिस के जवाब में दिये गये प्रत्युत्तर आदि का अवलोकन के पश्चात इस एकलपीठ का यह मानना है कि अपीलार्थी ने विभागीय कार्यवाही से बचने के लिये एक आफ्टर थॉट बहाना गढ़ा है, क्योंकि आन्ध्रप्रदेश स्थित विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी इन्वॉयस की मूल तिथि दिनांक 23.04.1999 के दो माह से भी अधिक समय पश्चात एवं सर्वेक्षण के पश्चात विभिन्न तिथियों में अलग-अलग पत्र जारी कर दिनांक 28.04.1999 को अपीलार्थी को भेजे गये माल की कीमत रुपये 2,67,750/- ही होना बताया है। परन्तु उक्त पत्र प्रथम दृष्टया ही भ्रामक व आफ्टर थॉट प्रतीत होते हैं। अपील पत्रावली के पृष्ठ 33 पर उपलब्ध एक पत्र क्रमांक 183 दिनांक 30.07.1999 में गुन्दुर स्थित उक्त प्रेषक व्यवहारी मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज का लिखना है कि दिनांक 23.04.1999 को उनके आदमी को मानसिक बीमारी व सुनने में तकलीफ होने के कारण प्रफोर्मा बिल में भूल से लिख दिया गया उक्त पत्र की विषय वस्तु निम्न प्रकार है :-

"श्रीमानजी गुलाबचंदजी शंकरलालजी, वास जयपुर लीखी गुन्दुर से मेहता एन्टरप्राइजेज का जय गोपाल वंचनाजी। हमें काफी दुख हुआ आपकी दुकान का सरवेय हुआ। 282 बोरी का बील नं० 134 ता० 23.04.1999 रुपये 2,67,450/- सही है। उस रोज हमारे आदमी को मानसिक बीमारी व सुनने में तकलीफ होने से Perfuma Bill मानवीय भूल से लीखा है। सो ध्यान रहे। हमारे योग्य कार्य सेवा जो बिल आपको भेजा है वो ही सही है।" *

*(words reproduced above, are as written in the letter)



निरन्तर.....5

9. उक्त पत्र के पठन/वाचन से प्रथम दृष्टया ही यह आभास होता है कि यह Cover up tactics के तहत ही तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य गलत कृत्य को सही प्रकट करना है। अतः समग्र परिवेश में तथ्यों एवं परिस्थिति के अवलोकन पर अपीलार्थी का बचाव (defence) का कथन after thought पाये जाने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।
10. यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वक्त सर्वेक्षण पाये गये दस्तावेजों – (i) मैसर्स मेहता एन्टरप्राइजेज, गुन्दुर का गुड्स डिस्पेच नोट संख्या 073/0649140 दिनांक 28.04.1999; (ii) बिल्टी संख्या 1041/28.04.1999; (iii) proforma Invoice No. dated 24.08.1999; तथा (iv) Form ST 18A संख्या 329/12, सभी में परिवहनित माल की कीमत रुपये 3,35,000/- ही दर्शायी गई है। यही नहीं, आन्ध्रप्रदेश राज्य के प्रपत्र GN01 क्रमांक 1312/15 दिनांक 18.04.1999 तथा way bill क्रमांक 0649140 में भी माल का यही मूल्य अंकित है। अतः अपीलार्थी के इस कथन में कोई बल नहीं पाया जाता है कि उसे प्राप्त माल की Value रुपये 2,67,450/- ही थी, अपितु इसे concocted and after-thought पाया जाता है। लिहाजा, तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
11. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।



01.08.2018

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य